(2011) 2 एस. सी. आर. 869

अरुण रामचंद्र शानबाग

विरुद्ध

भारत संघ और अन्य

(2009 की दाण्डिक रिट याचिका सं 115/2009)

24 जनवरी, 2011

(मार्कंडेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा, न्यायाधिपतिगण)

इच्छामृत्यु/दया हत्याः याचिका-

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका याची की ओर से उसके दोस्त द्वारा की गयी है।

रिट याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि याची 60 वर्षीय महिला है जो के. ई. एम. अस्पताल के स्टाफ द्वारा देखी जा रही है तथा वह अस्थिर / सब्जी की निर्जीव स्थिति में पिछले 36 वर्ष से है क्योंकि उसके मस्तिष्क में चोट है। उसकी दया मृत्यु की मांग इस आधार पर की गयी है कि उसकी स्थिति में सुधार होने की सम्भावना नहीं के बराबर है। अतः प्रत्यर्थीगण को निर्देष दिया जाये कि वे याची को भोजन देना बंद करे व

उसके शांतिपूर्वक तरीके से मृत्यु प्राप्त होने दे। अस्पताल के प्रमुख ने यह शपथ पत्र दिया है कि याची सामान्य तरीके से भोजन प्राप्त कर रही है तथा चेहरे के भावों से जवाब दे रही है। चूंकि रिट याचिका में लगाये गये आरोप व अस्पताल के प्रमुख के शपथ पत्र में भिन्नता है। इन परिस्थितियों में तीन प्रमुख विशेषज्ञ मुम्बई के चिकित्सकों को याची का परीक्षण कर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया जाता है जो उसकी भौतिक व मानसिक जांच करेंगे। समस्त अधिकारी डाॅ. व के.ई.एम. अस्पताल के स्टाफ को निर्देश दिया जाता है कि वे इस टीम को समस्त सहायता प्रदान करे। मुम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी प्रार्थना की जाती है कि वे इस टीम को पूर्ण सहायता प्रदान करे। राज्य सरकार को भी यह निर्देश दिया जाता है वे इस टीम के सदस्यो को पूर्ण सहायता प्रदान करे।

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकार,

रिट याचिका 115/2009

भारतीय संविधान 1950 अनुच्छेद 32

शेखर नाहफाडे, शुभांगी तुली, विमल चन्द्र, एस. दवे, याचीगण की ओर से

अतुल वाई. चिताले, सुचित्रा अतुल चिताले, स्निग्धा पांडे, निषिता कुमार, सुनैना दत्ता, चिन्मय खालकर, आषा गोपालन नैयर, प्रत्यर्थीगण की ओर से न्यायालय का निम्न आदेश प्रसारित किया गया -

आदेश

उभय पक्षकारों के अभिभाषकगण को सुना गया। इच्छामृत्यु दुनिया के सभी न्यायालयों व विधायी शक्तियों के लिए उलझन में डालने वाला प्रश्न है। यह न्यायालय इस मामले में इसी उलझन का सामना कर रहा है, हमें यह प्रतीत हो रहा है कि हम ऐसे समुद्र में हैं जिसमें जहाज का कोई चालक नहीं है। फिर भी हम कुछ विधानों व न्यायिक दृष्टांतों की सहायता से जो विदेशों में पारित किये गये थे से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

हमारे सामने यह मामला रिट याचिका अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के तहत याची अरुणा रामचंद्र श्यामबाग द्वारा उसकी ओर से इनकी विधानी द्वारा दोस्त के रूप में प्रस्तुत की गयी है।

रिट याचिका में कहा गया है कि श्रीमती अरोड़ रामचंद्र श्यामबाग के. ई. एम. अस्पताल परेल, मुम्बई में स्टाफ नर्स थी। 27.11.1973 को उस पर एक हरिजन ने अस्पताल में कुŸो को बांधने वाली चेन से हमला किया व उसके गले में चेन लपेट कर उसे उससे मारा। उसने बलात्कार करने की भी कोशिश की लेकिन यह देखते हुए कि वह रजस्वला है। उसने बलात्कार न कर उसने उसके साथ मुख मैथुन किया। इस दौरान उसे

हिलने न देने के लिए उसने चेन को उसके गले में बांध दिया व उसे खींचा। 28.11.1973 को 07.45 सुबह को एक सफाई कर्मी ने उसे फर्श पर बेहोश अवस्था में पाया। चारों ओर खून बिखरा था। यह आरोप लगाया गया है कि कुत्ते की चेन द्वारा दम घुटने से उसके मस्तिष्क को आॅक्सीजन नहीं मिली व मस्तिष्क रुक गया व उसे क्षति भी हुई। यह आरोप लगाया गया कि अस्पताल के मनोचिकित्सक ने पाया कि उसे प्लांटर्स एक्सटेंसर हो गया है। इसका तात्पर्य है कि उसके कोर्टेक्स या मस्तिष्क के किसी अन्य भाग को क्षति पहुंची है। उसे मस्तिष्क का स्टेम कंट्यूजन की चोट भी पहुंची। जिसके साथ सरवाइकल (उŸारजीविता) कोर्ड की चोट भी थी।

याचिका के पृष्ठ 11 में आरोप लगाया गया कि इस घटना को 36 वर्ष हो गये हैं और अब अरुणा राम चंद्र 60 वर्ष की है। वह एकदम दुबली पतली है उसकी हड्डियों टूटने जैसी स्थिति में है। यदि उसका हाथ या पैर कहीं पर भी आकस्मिक तौर पर या दुर्घटना स्वरूप कहीं लग जाये तो हड्डिया टूट सकती हैं। उसने रजस्वला होना बंद कर दिया है। उसकी चमड़ी एक कंकाल पर लटकी हुई है। उसके पूरे शरीर पर घाव हो रखे हैं। उसकी कलाईयां अंदर की ओर मुड़ी हुई हैं। उसके दांत सड़ गये हैं जिससे उसे असहनीय पीड़ा हो रही है। उसे पिसा हुआ खाना खाने को दिया जाता है। जिस पर वह जीवित है।

यह भी आरोप लगया गया है कि अरुणा रामचंद्र शाहबाग लगातार मृत्यु जैसी शाकाहारी अवस्था में है। कल्पना से उसे मृत माना जा सकता है। उसे आस-पास की स्थिति की कोई जानकारी नहीं है। वह न तो कुछ सुन सकती है और न कुछ अपनी भावनाएं किसी भी प्रकार से जता सकती है। पिसा हुआ खाना उसके मुंह में रखा जाता है जिसे वह चबा नहीं सकती या स्वाद नहीं ले सकती। उसे यह भी पता नहीं होता कि उसके मंुह में खाना है। वह तरल पदार्थ भी नहीं पी सकती। इससे पता चलता है कि खाना स्वयं उसके गले के नीचे उतरता है। वह खाने को गले के नीचे उतारने का कोई प्रयत्न नहीं करती। खाना पचाने की प्रक्रिया अपने आप होती है। परन्तु अरुणा एक कंकाल मात्र है। उसकी शौच व पेशाब बिस्तर पर ही होता है। कुछ समय में उसे साफ किया जाता है। लेकिन थोड़े से समय में वह इसी प्रकार की मानवहीन दशा में पहुंच जाती है। किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर उसे एक जीवित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। सिर्फ उसके मंुह में डाले गये पिसे हुए खाने की वजह से वह जिंदा है। लेकिन उसका जीवन किसी भी मानवीय दृष्टिकोण से मानव जैसी नहीं है। यह संभावना नगण्य है कि उसकी स्थिति में कोई सुधार आये। उसका शरीर के.ई.एम. अस्पताल के बिस्तर पर मृत पशु की तरह पड़ा है। यह स्थिति पिछले 36 वर्ष से लगातार है।

याची की प्रार्थना है कि प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाये कि अरुणा को खाना खिलाना बंद करे तथा उसे शांतिपर्वूक मरने दे।

यद्यपि न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण को 16.12.2009 को नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र में जो प्रत्यर्थी 3 व 4 ने प्रस्तुत किया है, मुम्बई नगर निगम तथा डीन के. ई. एम. अस्पताल के डाॅ. अमर रामजी पजारे जो प्रोफेसर व अस्पताल के प्रमुख हैं।

पेरा 6 में कहते हैं कि अरुणा सामान्य स्थिति में भोजन ग्रहण कर रही है तथा चेहरे के भावों से भावनाएं प्रकट कर रही है। आदेश देने पर वह आवाजों के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। शौच व पेशाब करते समय वह आवाजें उत्पन्न करती है जिससे नर्सिंग स्टाफ को पता चल जाता है और वे उसे शौचालय ले जाते हैं।

अतः यह स्पष्ट है कि याचिका में जो आरोप लगाये गये हैं उनमें व डाॅक्टर पजारे के शपथ पत्र में भिन्नता है।

इन परिस्थितियों में हम इस राय के हैं कि अरुणा रामचंद्र का पूर्णरूपेण परीक्षण करने के लिए एक तीन डाॅक्टरों की टीम नियुक्त की जाये। जो हमंे उसकी भौतिक व मानसिक स्थिति के बारे में सम्पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अतः हम इन तीन डाॅक्टरों की टीम का गठन करते हैं।

1. डाॅ. जे. वी. दिवातिया, प्रो. एवं प्रमुख बेहोशी विभाग, गम्भीर देखभाल व दर्ज, टाटा मेमोरियल अस्पताल, उनका मोबाइल नं 09869077435 व ई-मेल पता - jdivatia@yahoo.com

2. डाॅ. रूप गुरसाहनी, सलाहकार, मनोचिकित्सक, पी. डी. हिन्दुजा अस्पताल, मुम्बई, उनका मोबाइल नं 09821087597 व ई-मेल पता - roop_rursahani@hotmail.com

3. प्रोफेसर व मनोचिकित्सा के प्रमुख, लोकमान्य तिलक, नगर निगम, मेडिकल काॅलेज व सामान्य चिकित्सालय, इनका मोबाइल नं 09821788658 व ई-मेल पता - drnilshah@hotmail.com

उपरोक्त चिकित्सकों की टीम से यह प्रार्थना की जाती है कि वे याची अरुणा को के. ई. एम. चिकित्सालय में पूर्ण रूप से परीक्षण करे तथा हमें उसकी भौतिक व मानसिक स्थिति का सही तथ्य मालूम पड़ सके। तीनों डाॅक्टरों की टीम जहां तक हो सके एक संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करे। वे तीनों डाॅक्टर मुम्बई में या कहीं ओर से भी किसी भी अस्पताल या चिकित्सक की सहायता ले सकते हैं। मुम्बई व बाहर के सारे चिकित्सकों को निर्देष दिया जाता है कि इन तीन डाॅक्टरों की टीम को चाही गयी सहायता प्रदान करे। चाहे ये तीन डाॅक्टरों की टीम किसी प्रकार की जांच करना चाहे। विषेष तौर पर के. ई. एम. अस्पताल के अधिकारियों को यह

निर्देश दिया जाता है वे इस टीम का पूर्ण सहयोग करे ताकि वे इस आदेष में दिया गया कार्य प्रभावी रूप से कर सके।

मुम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीष को यह प्रार्थना की जाती है कि वे इस टीम को जैसी सहायता वे चाहे, प्रदान करे। महाराष्ट्र राज्य सरकार भी इस टीम को पूर्ण सहायता किसी भी प्रकार की चाहने पर करेगी, चाहे उनके लिए परिवहन, धनराशि की आवश्यकता हो।

भारत सरकार के अटाॅर्नी जनरल को नोटिस जारी किया जाये, ताकि वे इस मामले की अन्तिम सुनवाई के समय 22.02.2011 को हमें सहायता प्रदान करे। उस दिन यह मामला वाद सूची में पहले नं. पर होगा। उस दिन प्रत्यर्थीगण अपने शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने अब तक शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं। श्री डी. आर. अन्धीया अरुजना, विद्वान वरिष्ठ अभिभाषक को इस मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में सलाह देने की प्रार्थना की जाती है।

याची की ओर से उसके दोस्त द्वारा लगायी गयी यह याचिका करने का उसका अधिकार के बारे में भी उस दिन विचार किया जायेगा।

इस आदेश की प्रतियां, रिट याचिका की प्रतियां एवं डाॅ. पिजारे के शपथ पत्र की प्रतियां तत्काल तीन डाॅक्टरों की टीम को प्रेषित की जायें। साथ ही उन्हें विद्वान अटाॅर्नी जनरल भारत वर्ष एवं टी. आर. अन्धीया

अरुजना को भी भेजा जाये। इस आदेष की प्रति तीन डाॅक्टरों की टीम को जो हमारे द्वारा नियुक्त की गयी है। उनके ई-मेल पते पर भेजी जाये।

रिट याचिका स्थगित की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।